संख्याः 6907 /23(1)–सात/2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

महानिदेशालय विद्यालंयी शिक्षा दिनांक 10 जनवरी, 2014

विषय :– **गणतंत्र दिवस की प्रभात फेरियों को "बाल अधिकारों के लिये कदमताल" के रूप में आयोजित करना एवं चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धी।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 552/SCPCR.UK/2013–14 दिनांक 27–12–2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 आयोग द्वारा द्वारा गणतंत्र दिवस 2014 को बाल अधिकार दिवस के रूप में मानने का निश्चय किया है। इस हेतु निम्न दो कार्यकम प्रस्तावित किये गये हैं, जिन्हें राज्य के प्रत्येक स्कूल में कियान्वित किया जाना है :–

__पहला कार्यकमः–__

सभी स्कूलों की प्रभात फेरियों में " **बाल अधिकारियों के लिए कदमताल** एवं **"Walk for Child Rights"** के प्ले कार्ड/तख्ती/पोस्टर का इस्तेमान किया जाय। इस सम्बन्ध में आयोग की ओर से 25 जनवरी, 2014 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होगा, जिसे काट कर तख्तियों पर चिपकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभात फेरियों में यह नारा भी जागाया जाय **"हर बच्चे का है अधिकार–रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार"**।

जिला मुख्यालयों में सभी स्कूलों की तरफ से प्रभात फेरी एक साथ निकाली जाय, जिसके लिये आयोग की तरफ से फ्लैक्स भेज दिये जायेंगे।

__दूसरा कार्यकमः–__

सभी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यकमों के साथ–साथ कक्षा 4–5 एवं क्षा 6–8 तक के छात्र–छात्रों से बाल अधिकारों या चाचा नेहरू पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाय। छात्र–छात्रा दोनों विषयों में से कोई एक चुन सकता है। प्रत्येक स्कूल से कक्षा 4–5 व कक्षा 6–8 वर्ग में एक–एक छात्र–छात्रा की चित्रकला चयनित की जाय। जिसे विकास खण्ड स्तर पर भेजा जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड से 4–5 एवं 6–8 वर्ग में एक–एक छात्र–छात्रा की चित्रकला चयनित होगी, जिसे जिला स्तर पर भेजा जायेगा। जिला स्तर पर 4–5 एवं 6–8 वर्ग में प्रथम, द्वितीय व तृतीय का चयन होगा।

चयनित छात्रों को प्रत्येक जिले में आयोग की ओर से आयोजित कार्यकम में पारितोषिक दिया जायेगा। ब्लाक स्तर पर चयनित चित्रकला बनाने वाले राज्य के सभी छात्रों को आयोग की ओर से जिला स्तरीय कार्यकम में ही प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी ब्लाक में चयनित दोनों छात्रों का नाम, पिता का नाम कक्षा एवं विद्यालय का नाम 07 फरवरी, 2014 तक जनपद को तथा जनपद द्वारा जिला स्तर पर चयनित छात्रों के नाम 15 फरवरी, 2014 तक मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इस स्तर पर चयन समिति में सीडीपीओ/डीपीओ, आईसीडीएस को शामिल किया जायेगा।

अतः गणतंत्र दिवस के अवसर पर उक्तानुसार कार्यकम आयोजित करवाकर चयनित छात्र–छात्राओं की सूची निर्धारित समयान्तर्गत मा0 आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./6907–23 /23(1)–छः/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड